



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 433) पटना, मंगलवार, 5 मई 2026

सं० 04/पर्या०/वन-17/2026/2384—प.व.ज.प.,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प
5 मई 2026

विभिन्न विभाग, बोर्ड/निगमों द्वारा राज्य में विकासात्मक कार्य किये जाते हैं। इन विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन के क्रम में की जाने वाली गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, वैश्विक ताप में वृद्धि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के शमन एवं उनके अनुकूलन हेतु समर्पित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है।

2. राज्य में वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के शमन एवं उनके अनुकूलन के निमित्त समर्पित वित्तीय संसाधन के रूप में "बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund-BGCF)" के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. यह कोष गैर-व्यपगतीय निधि (Non Lapsable Fund) होगा, जिसका संचालन एक निबंधित सोसाइटी "बिहार हरित जलवायु कोष सोसाइटी" के माध्यम से किया जाएगा।

4. "बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund-BGCF)" के निधि प्राप्ति के स्रोत निम्नवत् होंगे:-

क्र.	निधि का स्रोत	योगदान की राशि	संबंधित विभाग
(i)	राज्य के सभी कार्य विभाग, बोर्ड एवं निगम	कार्य अनुबंध (Work Contract) की राशि का 0.25 प्रतिशत	सभी संबंधित विभाग
(ii)	निबंधन शुल्क पर सेस	नये वाहनों के निबंधन पर निबंधन शुल्क का 1 प्रतिशत (ई-वाहन पर छूट रहेगी)	परिवहन विभाग
(iii)	रॉयल्टी पर सेस	रॉयल्टी का 0.50 प्रतिशत	खान एवं भूतत्व विभाग
(iv)	स्वैच्छिक अंशदान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) से प्राप्त अनुदान। पर्यावरणीय आघातों की क्षतिपूर्ति राशि तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोष से प्राप्त अनुदान		संबंधित प्रतिष्ठान/कोष

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा "बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund-BGCF)" में प्राप्त निधि का उपयोग जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों यथा वनीकरण एवं वृक्षारोपण पौधशाला स्थापना, वानिकी कार्यों में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के प्रोत्साहन, जलवायु सहनशीलन एवं अनुकूलन संबंधी कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, वनों के निकट रहने वाले ग्रामीणों हेतु हरित रोजगार सृजन कार्यक्रम, जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, पारिस्थितिकीय विकास गतिविधियां आदि में किया जाएगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित अंक में प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
आनन्द किशोर,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 433-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>